

प्रेसक

संख्या 662/को-2-2002

मधुकर गुप्ता
मुख्य राजिय
उत्तरांचल शासन

सेवा में

समरत प्रभुता सचिव/सचिव,
उत्तरांचल

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 18 जुलाई, 2002

विषय:- विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमीनार तथा व्यक्तिगत कार्यों से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किया जाना।

महोदय

विदेश सेवायोजन, विदेश प्रशिक्षण, विदेशों में आयोजित सेमीनार/ विचार गोष्ठी/सम्बेलन/रिपोर्टिंग/स्कालरशिप/फैलोशिप/विदेश प्रतिनिधित्व एवं व्यक्तिगत कार्यों से विदेश यात्रा किये जाने की नीति से संबंधित पूर्व में जारी समरत शासनादेशों की अवधिगत करते हुए, उपर्युक्त के संदर्भ में शासन द्वारा हिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का गुण निर्देश हुआ है:-

1. विदेश सेवायोजन-

विदेश सेवायोजन हेतु प्राप्त होने वाले सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्रों को अन्वसारित करने एवं उन पर अनुमति प्रदान करने से पूर्व निम्नलिखित विन्दुओं के आधार पर प्रसारण का परीक्षण किया जाय-

(1) केवल ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्र अन्वसारित किए जाय, जो 05 वर्ष या उससे अधिक अवधि में सेवारत हों, और जिन्हे संविधित विषय की दिशाप्रत्ता में कम से कम 03 वर्ष का अनुभाव हो।

(2) ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्र अन्वसारित न किए जायं, जिनके विलक्षण सामाजिक/प्रशासनाधिकार/प्रियागीय जीव सम्बित हों, अथवा जिनके विलक्षण छात्र में से कोई जीव किए जाने का निर्णय ले लिया गया हो।

(3) केवल ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्र अन्वसारित किए जायं, जिनके धारणाधिकार मूल यिभाग ने बनाये रखना संभव हो।

(4) केवल ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्र अन्वसारित किए जायं, जो भारत सरकार द्वारा निर्वाचित प्रमेत्र (यदि कोई हो) पर प्रस्तुत किये गये हों।

अनुमोदन का द्वारा-

1. उपर्युक्तानुसार परीक्षण करने को उपरान्त विदेश सेवायोजन से संबंधित आवेदन-पत्रों के अनुसारण हेतु यिभागीय सचिव/प्रभुता सचिव, यिभागीय भंडी एवं ना. मुख्य गवीं द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

I.T
Upload करें।
01/01
27.01.18 ८८

2. भारतीय प्रशासनिक राजा (आई.ए.एस.) एवं प्रादेशिक सिविल सेवा (पी.ली.एस.) विभागाध्यक्ष, निम्नों के अध्यक्ष एवं निम्नों के प्रदेश निदेशक से संबंधित प्रलेखों पर कार्यक्रम विभाग द्वारा मुख्य राजिव के माध्यम से ना. नुच्छे नमी जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

2. विदेश प्रशिक्षणाभियान-

विदेश में प्रतिनियुक्ति हेतु प्राप्त होने वाले सरकारी सेवकों के आवेदन—पत्रों का परीक्षण उपर्युक्त प्रत्यक्ष—1 के प्रधिकरणों के अनुसार करते हुए, उक्त प्रत्यक्ष के अनुसार ही सदृश स्तर उपर्युक्त प्रत्यक्ष—1 के प्रधिकरणों की अधिकतम अवधि 05 वर्ष होगी, और या अनुमोदन प्राप्त किया जाय। विदेश में प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि 05 वर्ष होगी, और उक्त अवधि के समाप्त होने के 06 माह पूर्व संबंधित सरकारी सेवक को प्रतिनियुक्ति से बाहर नुच्छे जाने वी कार्यकारी प्रारन्न कर दी जाय।

3. विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण, नीनार, विचार गोष्ठी, रटडी दूर शिक्षणियम्, वर्कशैप एवं रक्कालरशियम् / फैलोशिप आदि में नामांकन/ नाम लेना:-

भारत सरकार द्वारा समय—समय पर विभिन्न कार्यक्रमों आदि के अन्तर्गत विशिष्ट ज्ञान रखने वाले सरकारी सेवकों को विदेशों में आयोजित सेवीनार एवं गोष्ठियों आदि के लिए नामित किया जाता है। साथ ही साथ अन्य विदेश सरकारों द्वारा भारत के लघ्यप्रतिष्ठ वैज्ञानिकों विकित्सकों, कलाकारों आदि को रामारोही में भाग लेने के लिए आयोजित किया जाता है। ऐसे सनस्त कार्यक्रमों हेतु नामित किए जाने वाले सरकारी सेवकों के संबंध में निम्नलिखित नाम—दर्शक रिस्ट्रान्टों का पालन धनरथे के उपरान्त ही उनका नामांकन/ आवेदन पत्र अप्रसारित किया जाय।

(1) दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित करने हेतु संबंधित सरकारी सेवक पी आयु 45 वर्ष तक होनी चाहिए, जिसे विशिष्ट परिस्थितियों में एक वर्ष अर्थात् 46 वर्ष की आयु सीमा तक शिखिल किया जा सकता है जिन्हे उक्त विशिष्टीकरण हेतु संबंधित विभाग की यह प्रमोश देना होगा, कि संबंधित कार्यक्रम हेतु निर्धारित आयु सीमा के अधिकार या तो उपलब्ध नहीं हैं, अथवा नामित किए जाने वाले अधिकारी अपेक्षाकृत अधिक उपर्युक्त हैं।

(2) लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 50 वर्ष तक की आयु के सरकारी सेवकों को नामित किया जाय।

(3) यदि किसी प्रशिक्षण आदि से संबंधित कार्यक्रम में संबंधित विदेश सरकार/सरकार द्वारा कोई निम्न आयु—सीमा निर्धारित की गयी है, तो उसके अनुसार कार्यवाही की जाय।

(4) कम से कम 09 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करने वाले सरकारी सेवकों के ही नामांकन किए जाय।

(5) ऐसे सरकारी सेवकों के नाम संस्तुत न किए जाय, जिन्हें संबंधित ज्ञान/विषयवस्तु का समुचित ज्ञान न हो।

नोट:- (1) 30 दिन तक की अवधि के कार्यक्रमों को लघु अवधि के कार्यक्रम गाना तथा 30 दिन से अधिक अवधि के कार्यक्रमों तो दीर्घकालीन कार्यक्रम गाना जायेगा।

(2) 15 दिन से कम अवधि के कार्यक्रमों में नामांकन हेतु 50 वर्ष की आयु रीना लागू नहीं होगी।

(6) ऐसे सरकारी सेवकों के नाम संस्तुत न किए जाय, जिनके विरुद्ध सतर्कता जॉव/ प्रशासनाधिकरण जॉव/ अनुसारतात्पर्यक कार्यवाही लम्बित हो अथवा जिसे प्रारम्भ किए जाने वाले विषय किया जा चुका हो। ऐसे सरकारी सेवकों के भी नाम संस्तुत न किए जाय। जिनके

स्थूर्ण सेवागिलेखा निम्न रूप के रहे हों। इसमें गम्भीर प्रकृति की प्रतिकूल प्रविधि, प्रदान की गयी हो।

(7) ऐसे सरकारी सेवक, जिन्होंने दूर में एक माह अथवा इससे अधिक या विदेश प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, को पुनः इस समय की आर्यक की अधिक के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित न किया जाय। यद्यपि ऐसे सरकारी सेवकों को एक माह से पास अधिक के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किये जाने पर विदेश जिया जा सकता है।

(8) ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने दूर के अधिक समय का अधिकार अथवा अन्य किसी प्रकार का अवकाश स्थीरता करा कर, विदेश प्रशिक्षण आदि में भाग लिया हो, को पुनः विदेश प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए नामित किए जाने पर स्थीर प्रतिकृप्त नहीं होगा।

(9) प्रतिनियुक्ति पर यांचरत सरकारी सेवकों के विदेश प्रशिक्षण आदि में नामित किए जाने पर राष्ट्रीय विचार किया जाय, जब उस सरकारी सेवक द्वारा लिये गये प्रशिक्षण की उपयोगिता उस विभाग को जितने लायी जाती हो, तो उसके काम दो वर्ष तक उपर्युक्त सरकारी सेवक के प्रतिनियुक्ति पर भी बने रहने लायी जाती है।

(10) भिन्न-2 श्रेणी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों व भिन्न-भिन्न श्रेणी के सरकारी सेवकों के नामांकन किए जाय, ताकि प्रत्येक रूपरूप सरकारी सेवक को प्रशिक्षित कराया जा सके।

(11) विदेश प्रशिक्षण आदि में नामांकन करने से पूर्व यह रख्ट कर दिया जाय, कि उस प्रशिक्षण की सुविधा देश में उपलब्ध नहीं है, अथवा किसी अन्य कारण से उक्त विदेश प्रशिक्षण अधिक गहरायपूर्ण एवं आवश्यक है।

(12) नामांकन करते रहने अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य आरंभित वर्ग के उपर्युक्त सरकारी सेवकों को पान्ति दर भी भली भौति विचार किया जाए।

(13) यदि संवधित कार्यक्रम पर राज्य सरकार द्वारा व्यय-भार वहन किया जाना प्ररक्षित हो, तो प्ररक्षित पर उच्चानुमोदन प्राप्त करने से पूर्व विभाग की सहमति अवश्य प्राप्त की जाय।

(14) राज्यपत्राशासी निकायों एवं नियमों आदि में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत सरकारी सेवकों के विदेश प्रशिक्षण आदि से संबंधित कार्यक्रम पर यदि संबंधित नियम आदि के द्वारा ही व्यय-भार वहन किया जाना प्रस्तावित हो, तो ऐसे प्रकरणों पर वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु यह दावश्य सुनिश्चित कर लिया जाय, कि संबंधित नियम उपर व्यय-भार को वहन करने की रियति में है।

अनुमोदन का रूपरूप—

(1) उपर्युक्तानुसार परीक्षण करने के उपरान्त संबंधित विभागों द्वारा प्रस्ताव पर सीधे विभागीय राधिक / प्रमुख सचिव, विभागीय मंत्री एवं मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) एवं प्रादेशिक सिविल सेवा (पी.सी.एस.) विभागाध्यक्ष, नियमों के अध्यक्ष एवं नियमों के प्रबन्ध निदेशक से संबंधित प्रत्यावर्ती पर कार्यक्रम विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(3) किसी प्रादेशिक को अपरिहार्य परिस्थितियों में शिविल किये जाने का प्रस्ताव होने पर प्रकरण को विभागीय राधिक / प्रमुख सचिव के अनुमोदनप्रसान्न कार्यक्रम विभाग की रांदर्भित किया जाय, जो मुख्य सचिव ला अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव प्रशासनीय विभाग को घासारा करेंगे, तथा कार्यक्रम विभाग द्वारा शिविलीकरण पर सहमति प्रदान किए जाने यो रियति में प्रस्ताव पर विभागीय राधिक / प्रमुख सचिव एवं मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन

4-विदेश सेवायोजन, विदेशी व्यापार, विदेश प्रशिक्षण आदि हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया-

(i) विदेश प्रतिवाद करने का उपरान्त प्रदान करते रामय विमागों हासा यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि रामवान अपने वाहन में विदेशी संस्था अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और रीढ़े ही उपरान विमान प्रतिवाद कर लिया है? रीढ़े निष्क्रिय प्राप्त करना शास्त्र की नीति के पिरीत है, अब ऐसे विमानों जो भली भाँति परीक्षण करने के उपरान्त ही उन प्राप्त अनुमोदन प्रदान करने दी जाना चाहे जाय।

(2) विरेश रोद्देशलल/वरिष्ठ संघर्ष तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यकमों आदि में आवेदन करने की शिखि सारीप होने की किसी भी वित्तीय वित्त सहकारी सेवक प्राप्त संबंधित संस्था/संगठन यों सीधे आवेदन कर (अधिक इति व विवरण) करना सकता है, किन्तु संबंधित सहकारी सेवक का यह दायित्व होगा, कि वह उन्नीसवाँ के भाष्यन से भी आवेदन-पत्र का अग्रसारण करादा जाना सुनिश्चित करें।

अनुग्रहादान का रसायन-

१. भारतीय प्रसाद-निकाय निवास (भारत) एवं प्रादेशिक निवास रोपा (प्रीरीसर्स) किंवद्दन निवासों एवं अन्य समूहों के प्रश्नों के प्रबन्ध निदेशक के अधिकारियों से संबंधित प्रस्तावों पर जारीय विभाग हारा उत्तम रूपों द्वारा गुण्य मंत्री जी को अनुनीतन प्राप्त किया जाय।

५- निची कार्य / निची अवय एवं विद्युत यात्रा-

यदि कोई सरकारी विभाग उन्हें व्यवस्था पर नियमानुसार अपकाश रखीकृत कराकर, निर्णीकृत कार्य रो यथा—दिल्ली में इनका विवर उन्हें लापने संबंधित सैंगलिने, उपचार कराने एवं पर्यटन आदि के उद्देश्य से दिल्ली सरकार द्वारा है, तब भी रेश एवं प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न निहित होने की कारण निम्न भाव—दर्शक दिल्ली के अनुसार प्रकल्प का परीक्षण कराने के उपरान्त ही अनुगति प्रदान करने पर विकास किया जाए—

(1) यदि किसी संस्कृत लेख के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रदलित हो, तो उसकी व्यधितापत विदेश यात्रा की संघर्ष में समर्त्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संक्षम प्रधिकारी यात्रा गिरण्य दिला जाए।

(2) ऐसी सरकारी सेवा का अनुमति प्रदान न की जाय, जिसके विदेश जाने से भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार के राजदू किसी द्विधिया वकी स्थिति उत्पन्न होने यी रखी जाना हो।

(3) ऐसो रास्तकारी रोयबद्दी लो भी अनुमति प्रदान न की जाय, जिन्हें इससे पूर्ण अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना अस्वीकृत कर दिया गया हो और उक्त अस्वीकृत का आधार अभी विद्यमान हो।

(4) विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान करने से पूर्व यह भी देख लिया जाय, कि रायबंधित रारकारी रोयक इससे पूर्व कदम तथा किस प्रयोजन से विदेश यात्रा पर गया था।

अस्तु यो दन ला रत्न-

(1) ये सभी राजनीतिक दलों के विभागिता विभागाधारा कार्यकालों में रखी जाने चाहे विभागाधारा हारा अमुगति प्रदान की जाएगी।

(2) जिन सारकारी रोपकों के रोपाभिलेख शासन रत्तर पर रखे जाते हैं को विभागीय राजिय / अमुदा राजिय द्वारा अनुमति प्रदानी की जाय।

(3) आई.ए.एस. एवं आई.ए.एस. नियमित सेवा (आई.ए.एस.) एवं प्रादेशिक नियिल रोका (पी.रो.एस.) विभाग के अधीन उत्तराधिकारी प्रदान नियोगक से लब्धित प्रत्यार्थी पर यार्मिक विभाग द्वारा मुख्य सचिव का नियन्त्रण करना चाहिया जाय।

(4) विभाग की अवधारणे से अनुसन्धान विभागी पर यार्मिक विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से ना मुख्यमंत्री जी का अनुमति लेने किया जाय।

6. सामाज्य-

विदेश रोकायोजन, विदेश प्रतिनिधित्व, विदेश प्रशिक्षण एवं निजी कार्य से विदेश यात्रा के प्रत्यरूपों पर यात्रा द्वारा निर्मित उपर्युक्त नियमों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन खुगिश्वत किया जाय।

नोट:- विदेश यात्रा के लिए पात्राधीन नियम करने ऐतु गनापति प्रमाण-पत्र प्रदान परन्तु को कार्यपाली भी उपर्युक्तानुसार ही खुगिश्वत की जाय।

नवदीय,

9/5/
(महुकर मुक्ता)
मुख्य सचिव।

राख्या 602/(1)यार्मिक-2-2002 सचिवालय

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को रूपनार्थ एवं आवश्यक कार्यपाली ऐतु प्रेषितः-

1. समरत विभागमध्यक्ष/इमज कार्टलेप्टिक, उत्तराधिकार।
2. समरत मण्डलाध्यक्ष/ विलासीलाल, उत्तराधिकार।
3. रामरता प्रशिक्षण राख्यान, उत्तराधिकार।
4. सचिवालय के समरत अनुभाग।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Abdul Jain
(आलोक कुमार जैन)
सचिव।